




लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 22.12.79

की

कार्य सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
दिसम्बर 22, 1979 में विचारणीय विषयों
की सूची

x=x=x=x

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण	1
2	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	12
3	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या ।	13
4	कानपुर रोड योजना के अर्न्तगत ट्रान्सपोर्ट- नगर योजना में भूखण्डों का विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में ।	14
5	विद्यालयों को भूमि आवन्तन हेतु उपसमिति की अनुशंसा ।	16
6	प्राधिकरण के भावनों की किराये की जसूली बैंक के माध्यम से होने की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।	17
7	प्रथम चरण में निर्मित नक़्क़ास मार्केट की दूकानों के समक्ष निर्मित दो छोटे पार्कों को समाप्त कर ईंटों का छाड़न्जा अथावा सीमेन्ट का फर्श बनाना ।	18
8	लखानऊ विकास प्राधिकरण में कमेटियों का गठन ।	20
9	उपाध्यक्षा विकास प्राधिकरण को 25-00 लाखा रुपये तक के प्राविधिक कार्यों की निविदा एवं व्ययानुमान स्वीकार करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन ।	26
10	अध्यक्षा की अनुमति से अन्य विषय	

====::: 000 :::====

विषय संख्या: ।

पृष्ठ संख्या: ।

विषय:

विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 24-11-79 के कार्यवृत्त
का पुष्टिकरण ।

=x=x=x=x=x=

विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 24-11-79 का कार्यवृत्त पुष्टिकरण
हेतु संलग्न है ।

====:000 :000:====

एम/आरxxx

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 जो विकास प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में पूर्वान्ह 10-30 बजे हुई, का कार्यवृत्त
- : 0 : -

उपस्थित :

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| 1- | श्री पी०पी० खन्ना | - | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अखंड, लखनऊ विकास प्राधिकरण |
| 2- | श्री बी०जे० खोदायजी | - | आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ । |
| 3- | श्री योशेन्द्र नारायण | - | ज़िलाधिकारी, लखनऊ । |
| 4- | श्री जे०पी० दुबे | - | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ । |
| 5- | श्री ओ०पी० विश्नोई | - | महाप्रबन्धक प्रकल्प एवं नियोजन उ०प्र० जल निगम, लखनऊ । |
| 6- | श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम | - | सदस्य, विकास प्राधिकरण लखनऊ । |
| 7- | श्री कसणा शंकर वाजपेयी | - | सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ । |
| 8- | श्री एम०ए० लारी | - | सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ । |
| 9- | श्री बी०के० चतुर्वेदी | - | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण । |

अन्य उपस्थित :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-------------------------------|
| 1- | श्री ध्यान सिंह वर्मा | - | सचिव, विकास प्राधिकरण, लखनऊ । |
|----|-----------------------|---|-------------------------------|

विषय सं०-1 : विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79

के कार्यवृत्त की निम्न संशोधनों के साथ पुष्टि की गई :-

- 1- श्री ओ०पी० विश्नोई, महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन उत्तर प्रदेश जल निगम का उपस्थिति इन्द्राज निरस्त किया जाय ।
- 2- विषय संख्या-2 में पारित प्रस्ताव-1 के स्थान पर अब निम्नलिखित वाक्य लिखा जाये:-

"विद्यारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि अर्जन से मुक्त न की जाय तथा डा० जय शंकर टण्डन को उनकी इस अर्जित की गई भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि पिछले निर्धारित नियमों व दरों व शर्तों पर आवण्टित कर दी जाये ।"

3- विषय संख्या-6क में अब निम्नलिखित पैरा भी जोड़ दिया जाये :-

"उत्तर प्रदेश जल निगम को स्कीम की कास्ट पर हाता रसूल खाँ में भूमि दे दी जाये तथा विषय संख्या- 6ख के पारित प्रस्ताव के क्रम संख्या-ख के बाद एक क्रम सं० -ग भी जोड़ दिया जाये जो निम्न प्रकार से होगा :-

"विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु थाइड लाइन्स तैयार करने हेतु एक उप समिति गठित की जाती है जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य, विकास प्राधिकरण श्री एम०ए० लारी, सदस्य, विकास प्राधिकरण और आयुक्त एवं सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह उपसमिति अपनी रिपोर्ट विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

4- विषय संख्या-9 में पारित प्रस्ताव में जहाँ-जहाँ प्रतिवर्षफुट लिखा है उसके आगे प्रतिमाह भी जोड़ दिया जाये।

विषय संख्या-2 : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

पारित प्रस्ताव : अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

2:52 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या-4 को लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण बनाने के लिये प्राधिकरण द्वारा आदेश दिया गया था कि उक्त भूखण्ड के पास वाले भूखण्ड की जिस पर पेट्रोल पम्प बना है उसका भू-उपयोग परिवर्तन किन परिस्थितियों में किया गया था इसकी रिपोर्ट दी जाये। इस सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि पेट्रोल पम्प का भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि :-

क- पत्रावली खोले के बारे में जाँच की जाये व जिम्मेदारी निर्धारित की जाये तथा जिम्मेदार कर्मचारी को दण्डित किया जाये।

ख- उक्त पत्रावली पुनः रिकॉन्स्ट्रक्ट की जाये।

ग- मूल प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाये।

2:6111 नजूल सम्बन्धी मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजस्व परिषद एवं जिलाधिकारी लखनऊ से नजूल अधिकारी तुरन्त सम्पर्क स्थापित करें तथा आवश्यक स्टाफ नियुक्त कराये।

121 जो स्टाफ स्वयं भरती किया जाना है उसकी तत्काल नियुक्ति कर लिया जाये।

131 प्रथम चरण में केवल एक सेक्टर लिया जाये तथा कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाये।

141 प्राधिकरण द्वारा जो नजूल-कमेटी गठित की गई थी उसके द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

§ 5। लजूल का जो भी स्टाफ लिस्टा पूर्वक अतिक्रमण रिपोर्ट न करें तथा तथा तत्काल उसे हटवाने की नियमानुसार कार्यवाही न कराये उसके विरुद्ध वैभाषिक कार्यवाही की जाये ।

§ 6। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा यह सहमति दी गई थी कि वह पब्लिक प्रमिसेज एडिक्शन ऑफ अनथराइज्ड अकुपैण्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत पब्लिक लैण्ड पर अतिक्रमण से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई के लिये एक अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट कुमारी चन्द्रा निगम को नियुक्त कर देंगे । इस पर निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, लखनऊ से अनुरोध किया जावे कि प्राधिकरण के प्रॉगन में ही एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी जाये ताकि मुकदमों की पैरवी में सहूलियत हो एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में तीव्रता आ सके ।

विषय संख्या-3: बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति-
आख्या ।

पारित प्रस्ताव : बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का अवलोकन किया गया तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण को बताया गया कि इस वर्ष जैसा कि बजट में प्राविधान किया गया था, ₹ 508-87 लाख रुपया सम्भावित ऋण एवं अनुदान मिलने की कोई सम्भावना नहीं है । इस कमी को पूर्ण करने के लिये हड़को से 147 लाख रुपये के ऋण की मांग की गई है तथा एल०आई०सी०से 352-00 लाख का ऋण मांगा गया है । आशा की जाती है कि हड़को से यह ऋण प्राप्त हो जायेगा परन्तु एल०आई०सी० के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है । अस्तु उपरोक्त परिस्थितियों में बजट में प्राविधानित कार्यों का पूर्णरूपेण अध्ययन किया जाये तथा अध्ययन के बाद इन उपलब्धियों के अनुसार ही कार्य कराये जायें । निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की एक आवश्यक बैठक दिसम्बर/जनवरी में बुला ली जाये । जिस प्रकार भी इन जिन श्रोतों से उपलब्ध हो सकता है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये । आवश्यकतानुसार हड़को के लिये और स्कीमें बनाये जायें तथा रिवाइज्ड बजट जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय कि इस वर्ष कितना कार्य कराया जा सकेगा तथा कितना इन उपलब्ध हो सकेगा, का विवरण भी बनाया जाये ।

विषय सं०-4 : 25 एम०आई०जी० भवनों, अलीगंज आवास योजना में प्रस्तावित, का निर्माण कार्य [द्वितीय चरण, द्वितीय खण्ड]

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु व्ययानुमान ₹ 12,03,825/- रुपये का व्ययानुमान एवं इस कार्य हेतु सर्वश्री सख्दी कानस्ट्रक्शन की सर्वनिम्न निविदा ₹ 12,48,720-50 की स्वीकृति प्रस्तावित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

विषय संख्या-5: अलीगंज आवास योजना में 25 एम0आई0जी0 भवनों के निर्माण हेतु व्ययानुसार खर्च 12,03,825/- का तथा न्यूनतम निविदा खर्च 12,51,048-70 की स्वीकृति ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु प्रस्तावित आगण 12,03,825/- का तथा न्यूनतम निविदा सर्वश्री मदरसन्स की प्रस्तावित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है ।

विषय संख्या-6: नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विद्यार-विमर्श उपरान्त आटो-रिक्शा की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी :-

- 1- बैंक द्वारा 75% आटो-रिक्शा ड्राइवर्स को ऋण दिया जाये ।
- 2- 12.5% ऋण प्राधिकरण द्वारा दिया जाये ।
- 3- 12.5% ऋण आटो-रिक्शा ड्राइवर द्वारा स्वयं अपने पास से जमा करता होगा ।
- 4- बैंक द्वारा अपने ऋण एवं प्राधिकरण द्वारा दिये गये ऋण की वसूली मासिक किश्तों में आटो-रिक्शा ड्राइवर्स से करनी होगी । ऋण की वसूली केवल 36 मासिक किश्तों में होगी ।
- 5- बैंक प्राधिकरण के ऋण को वसूल करके माह के अन्त में अन्तिम तारीख को प्राधिकरण के खाते में स्थानान्तरित कर देगा ।
- 6- बैंक द्वारा बाकायदा ऋणी से अनुबन्ध कराया जायेगा तथा उससे ऋण वापसी की गारण्टी हेतु आवश्यक सिक्योरिटी ली जायेगी ।
- 7- प्राधिकरण द्वारा भी सम्बन्धित आटो-रिक्शा का इक्वीटेबिल मार्जिन कराया जायगा ।
- 8- प्रथम चरण में केवल 50 आटो-रिक्शा उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा दलाये जायेंगे जो कम से कम दस सीट वाले अवश्य होंगे ।
- 9- आटो-रिक्शा के लिये अलीगंज आदि कालोनी में प्राधिकरण द्वारा पार्किंग शेड बनाये जायेंगे ।

विषय संख्या-7: सेक्टर "एन" अलीगंज आवासीय कालोनी द्वितीय चरण में जनसंख्या का घनत्व 243 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6 प्रतिशत तथा मार्गों की चौड़ाई 15 फिट तथा 20 फिट रखने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विद्यार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित छूटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित के अनुसार अध्ययन उपरान्त आवश्यकतानुसार संशोधन करके प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाये :-

- 1- छूटी हुई जगह की जनसंख्या से सम्बन्ध किया जाये ।
- 2- प्रत्येक 160 मीटर मध्यान्तर के पास 9 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध कराई जाये जिसमें सभी सुविधाये सर्विसेज हों ।
- 3- जनसंख्या का घनत्व तदनुसार निर्धारित किया जाये ।

विषय संख्या-8 : अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एम" में जनसंख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6.30% तथा पाथवेज की चौड़ाई 15 फिट रखने की स्वीकृति ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय लिया गया कि विषय संख्या-7 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-9 : अलीगंज आवासीय क्षेत्र के द्वितीय चरण में "एन" सेक्टर में जनसंख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 8% तथा पाथवेज की चौड़ाई 15 फिट रखने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय लिया गया कि विधाय संख्या-7 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-10 : ओल्ड पोस्ट आफिस कामर्शियल काम्प्लेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइंग्स तैयार करने के लिये ₹ 2.34 लाख मुह्यु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को दिये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित फीस का मुग्तान कर दिया जाये ।

विषय संख्या-11 : लखनऊ नगर का वर्तमान प्रमाणिक मानचित्र तैयार कराने हेतु सर्वेक्षण की अनुमति ।

पारित प्रस्ताव : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में समस्या का पूर्ण अध्ययन करके प्रस्ताव रखा जाये जिसमें यह भी बताया जाये कि अमुक एजेन्सियों द्वारा उक्त मानचित्र बनाया जायेगा तथा उसकी क्या कीमत होगी और कितना समय लगेगा तथा इसके लिये बन कहां से प्राप्त होगा ?

विषय संख्या-12 : मेसर्स वास्तुआँख को छितवापुर कामर्शियल काम्प्लेक्स के ड्राइंग आदि तैयार करने के लिये आवश्यक मुग्तान आदि के विषय में ।

पारित प्रस्ताव : विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- 1- अगर ओपेन टेण्डर करने के पश्चात् निम्नतम टेण्डर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम का आता है अथवा निम्नतम टेण्डर पर निर्माण निगम कार्य करने को तैयार हो जाता है और उक्त कामर्शियल काम्प्लेक्स छितवापुर उनके द्वारा बनाया जाता है तो काम्प्लेक्स की पूर्ण कीमत की 2% फीस में वास्तुआँख को देय होगी ।
- 2- अगर ओपेन टेण्डर करने के पश्चात् निम्नतम टेण्डर पर निर्माण निगम कार्य नहीं करता है तथा कोई प्राइवेट एजेन्सी या ठेकेदार कार्य करता है तो 5% वास्तुआँख को उ प्रतिशत फीस देय होगी ।
- 3- तदनुसार उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा 5% वास्तुआँख को भेजे गये पत्र संख्या-196/एस0टी0पी0/एल0डी0ए0 दिनांक-17-11-79 की पुष्टि की गई तथा निर्णय लिया गया कि इस मामले में अब अगली कार्यवाही शीघ्र ही की जाये तथा यह भी निर्णय लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट फायर आफिसर से इस काम्प्लेक्स के निर्माण में तथा अन्य काम्प्लेक्सों के निर्माण में नियमानुसार "नो आवेक्शन सर्टीफिकेट" भी प्राप्त कर लिया जाया करें ।

विषय संख्या-13: ~~इस~~ सिण्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई 38 दुकानों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

- 1- प्रत्येक दुकान का किराया ₹ 3-20 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की स्वीकार किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विस्थापितों को दुकान आवण्टित करते समय कोई प्रीमियम न लिया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम पाँच वर्ष तक उक्त किराया केवल ₹ 2.40 प्रतिवर्गफुट की दर से तथा उसके बाद 5 वर्ष तक ₹ 3-20 प्रतिवर्गफुट की दर से लिया जायेगा । तत्पश्चात् उपाध्यक्ष द्वारा इस किराये को 25 प्रतिशत तक प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाने का अधिकार होगा । अर्थात् किराये के सम्बन्ध वही प्रक्रिया अपनाई गई थी ।
- 2- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/नगर के अ०शा०प०सं०-10/एस० ऐण्ड सी० मुन्सरिम/79 दिनांक 2 अगस्त, 1979 द्वारा भेजी गई लिस्ट जिसमें 60 व्यक्तियों के नाम हैं को निम्न संशोधन के साथ स्वीकार किया जाता है:-

उक्त सूची में 59 व्यक्तियों के नाम जिसमें क्रम सं०-7 से 23 तक तथा 49 से 57 तक को बाहर रहने के कारण कोई दुकान देय न होगी । इसी प्रकार क्रम संख्या 8, 9, 10 जो एक ही दुकान में बैठते थे इन्हें एक ही दुकान देय होगी । इसी प्रकार क्रम संख्या 11 व 12 को भी एक ही दुकान उपलब्ध होगी । शेष एक से लेकर 59 तक के व्यक्तियों को उपरोक्त को छोड़कर एक-एक दुकान देय होगी ।

विषय संख्या-14 : हजरतगंज स्थित जनपथ मार्केट व्यवसायिक केन्द्र में स्थित गोदामों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : सचिव एवं उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि जनपथ मार्केट में बहुछण्डी भवन के वेसमेण्ट में 45 गोदाम बनाये गये थे, इन गोदामों के लिये समाचारपत्रों के माध्यम से कई बार प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये परन्तु कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ । तत्पश्चात् चूंकि गोदामों के निस्तारण में विलम्ब के कारण राजस्व की काफी हानि हो रही थी, अतएव 10 गोदाम शासन को दे दिये गये तथा एक गोदाम डिस्पेलेस्ड पर्सन को टेलरिंग शाप खोलने के लिये दे दिया गया तथा एक गोदाम अप्रैल 1979 में एक ही प्रार्थनापत्र आने के कारण श्री चुन्नी लाल को दे दिया गया था । तदुपरान्त प्रथम आगत, प्रथम प्रदत्त के आधार पर गोदाम आवण्टित किये जाते रहे । गोदामों का किराया जनपथ मार्केट की ओवर-ऑल इकोनामिक्स बजार 2/- रुपये प्रतिवर्गफुट ~~इस~~ प्रतिमाह निकाली गई थी । प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट पर विचारोपरान्त 2/- प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से उपाध्यक्ष द्वारा किये गये आवण्टन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्णय लिया गया कि इस समय या भविष्य में जो भी गोदाम खाली हो उन्हें शासन की आरक्षण नीति को ध्यान में रखकर आवण्टित किया जाये अर्थात् खाली हुये गोदामों को आवण्टन के लिये शासनादेश संख्या-4630/40-13-188-77 दिनांक 19-6-78 के अनुसार आरक्षण कोटा पूरा किया जाये ।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में प्राधिकरण द्वारा दुकानों, भवनों, झुण्डों का जो भी आवण्टन किया जाये उसमें आरक्षण से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश का पालन किया जाये।

प्राधिकरण ने गोदामों को दुकान के रूप में प्रयोग करने की स्वीकृति भी प्रदान की।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि आवण्टन के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत हो तो उसे उपाध्यक्ष की जांच हेतु भेज दिया जाये।

विषय संख्या-15: सेवा निवृत्त की दिनांक को प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में पुराशि के लक्ष्य के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या जी०/१००२/दश-२००-७७ लखनऊ दिनांक २६ अप्रैल, १९७८ का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि शासन के उक्त आदेशों को प्राधिकरण के उन कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाये जो दिनांक ३०-९-७७ या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हों।

विषय संख्या-16: लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतता दिये जाने के विषय में।

पारित प्रस्ताव : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या ३४८०/३७-२-८९डी०ए०/७८ दिनांक ६ अक्टूबर, १९७९ में उल्लिखित दरें दिनांक १-१०-७९ अथवा इसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अथवा उच्च पद पर पदोन्नति पाने की दशा में अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू की जायेंगी अन्यथा इसके पूर्व के आदेश यथानुसार लागू रहेंगे।

विषय संख्या-17: विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रार्थनापत्र को अन्य विभागों में नियुक्त हेतु अग्रसारित करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- १- जो अधिकारी/कर्मचारी विभाग में कार्यरत हैं उनका प्रार्थनापत्र नियुक्ति तिथि से ३ वर्ष तक अन्य विभागों के लिये अग्रसारित न किया जाये।
- २- नई नियुक्तियों को करते समय प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से यह अनुबन्ध करा लिया जाये कि उनके प्रार्थनापत्र ३ वर्ष तक किसी अन्य विभाग को अग्रसारित न किये जायेंगे।
- ३- उपरोक्त नीति के अनुसार सचिव, विकास प्राधिकरण श्री श्रीवास्तव के प्रार्थनापत्र पर निर्णय ले लें।

विषय संख्या-18: प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के वाहनों का निजी प्रयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में प्राधिकरण के वाहनों का निजी प्रयोग किये जाने से सम्बन्धित मामला अन्य प्राधिकरणों के लिये एक नीति विषयक मामला होगा। अतएव उक्त प्रस्ताव शासन के विचारार्थ

प्रेषित कर दिया जाये तथा शासन कमे से जो भी निर्देश प्राप्त हो उसी के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-19: प्राधिकरण के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव चूंकि प्रदेश के सभी प्राधिकरणों की पालिसी बनाने से सम्बन्धित है अस्तु इसे शासन को भेज दिया जाये तथा शासन से इस सम्बन्ध में जो भी निर्देश प्राप्त हों उसका पालन किया जाये ।

विषय संख्या-20: भूखण्ड संख्या-3 मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत आवण्टन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव- विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-3 के आवण्टन के सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी स्थिति पता लगा ली जाये तथा विधिक राय एवं शासन के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये उपाध्यक्ष द्वारा इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाय ।

विषय संख्या-21: विधिक मामलों में कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष/सचिव, विकास प्राधिकरण के अधिकार-प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा निम्नलिखित सिद्ध अतिकारों का प्रतिनिधायन किया गया :-

क- प्राधिकरण के तरफ से मुकदमों से सम्बन्धित सभी नोटिसों सचिव, विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जायेंगे । प्राधिकरण के विरुद्ध जितनी भी नोटिसों बाहरी व्यक्ति निकाय, सार्वजनिक विभाग, बैंक, बीमा दफ्तर, सरकारी कार्यालय और सरकारी कार्यालय आदि से प्राधिकरण को प्राप्त होती, उसके जवाब सचिव के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जायेंगे ।

ख- प्राधिकरण को विभिन्न न्यायालयों में जो मुकदमों अपील, निगरानी आदि प्रस्तुत करने होंगे या प्राधिकरण के विरुद्ध अपील, निगरानी व मुकदमों को डिफेन्स करने का पूरा अधिकार सचिव के हस्ताक्षर से व आदेश द्वारा होगा ।

ग- उच्च न्यायालयों में अपील, रिट या निगरानी करने हेतु अनुमति उपाध्यक्ष आदेशित करेंगे ।

घ- विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के विरुद्ध मुकदमों में प्राधिकरण के तरफ से पत्राज्ञ तहरीरी, प्रतिउत्तर, सचिव के हस्ताक्षर व आदेश से होंगे ।

ड.- मुकदमों की पैरवी करने वाली भी मुकदमा, अपील, निगरानी, रिट पिटीशन वगैरह को विद्वान् करने या सज्जि करने का बाट प्रेस करके स्थापित करने का अधिकार उपाध्यक्ष की अनुमति द्वारा होगा ।

च- मुकदमों की पैरवी करने एवं शपथपत्र जिम्मादित करने हेतु पैरोकार सचिव द्वारा ही निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

छ- वकालतनामों पर सचिव के ही हस्ताक्षर होंगे ।

ज- विभिन्न न्यायालयों एवं मुकदमों में वकीलों की फीस का निर्धारण उपाध्यक्ष द्वारा कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

स- मुकदमें से सम्बन्धित अन्य मामले में सचिव उचित निर्देश व आदेश देने के लिये सक्षम होंगे।

विषय संख्या-22 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कमेटियों का गठन।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या-23: प्रथम चरण में निर्मित लखनऊ की दुकानों के समक्ष निर्मित दो छोटे पार्कों को समाप्त करके उक्त स्थल पर ईटों का खड्डना अथवा सीमेंट का फर्श बनाना।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या-24 : यू०पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा सरोजनी नगर एवं अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के स्वीकृत ले-आउट में विकास के कार्य के लिये ऐग्रीमेंट से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विद्यमान परान्त विषय लिया गया कि यू०पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा सरोजनी नगर एवं अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के स्वीकृत ले-आउट में विकास कार्य करने के लिये ऐग्रीमेंट से छूट देने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जाते हैं कि जब भी उक्त डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सम्बन्धित क्षेत्र को नगर महापालिका लखनऊ को हस्तान्तरित करेगा तब उससे जो भी विकास व्यय मांगा जावेगा वह उन्हें जमा करना होगा तथा उक्त कॉर्पोरेशन को इस बात का लिखित आश्वासन [अण्डरटेकिंग] देनी होगी।

विषय संख्या-25: कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर योजना में बूटण्डों का विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या- 26: प्राधिकरण के भवनों की किराये की वसूली बैंक के माध्यम से होने की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या-27: विद्यालयों को भूमि का आवण्टन हेतु उप-समिति की अनुमति।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

विषय संख्या- 28 : उपाध्यक्ष द्वारा विकास प्राधिकरण को 25-00 लाख रुपये तक के प्राविधिक कार्यों के व्यय अनुमान एवं विविधा स्वीकार किये जाने के अधिकारों का प्रतिनिधायन।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या- 29: तातकटोरो रोड पर स्थित बूटण्ड संख्या-4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन एवं तत्सम्बन्धी विषय पर कीर्ति-निर्धारण के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार मूल-उपयोग परिवर्तन करने की संस्तुति की जाती है। तदनुसार संस्तुति शासन को प्रेषित की जाये।

॥ प्रेम प्रकाश खन्ना ॥
आयुक्त, लखनऊ मण्डल
एवं अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

एपूट

ह०/- योगेन्द्र नारायण
जिलाधिकारी, लखनऊ
कृते आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 24-11-79 में लिये गये निर्णयों
की अनुपालन आख्या ।

=x=x=x=x=x=

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 24-11-79 में लिये गये निर्णयों की
अनुपालन आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की
जायेगी ।

====:~::~ 000 ~::~:=====

विषय:

बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं
भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति
आख्या ।

=x=x=x=x=x=

बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं
भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या
अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।

====::: 000 :::====

एम/आरxxx

विषय: कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों का विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

X=X=X=X=X=X

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन हेतु विज्ञप्ति वर्ष 1976 में की गई थी और मई, 1977 में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 17 के अधीन कुछ भाग का कब्जा लिया गया। जिसमें से 199 एकड़ भूमि पर ट्रान्सपोर्ट नगर का विकास किया गया।

ट्रान्सपोर्ट नगर की मूल योजना में 199 एकड़ ग्रास एरिया तथा 4,87,500 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया था और योजना की कुल अनुमानित लागत 4.72 करोड़ रुपये थी। जिसके आधार पर भूखण्डों का विक्रय मूल्य रु 10/- प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया। विकास कार्यों में वहाँ की लगभग सभी मुख्य सड़कें तथा अधिकांश भीतरी सड़कों का निर्माण हो चुका है। पानी की व्यवस्था के लिये दो ट्यूब वेल्स बनाये गये हैं और पानी के पाइप बिछाये जा रहे हैं। बिजली के हार्मो तथा तार लगाये जा चुके हैं। स्टार्म वाटर ड्रेन तथा सीवर का निर्माण अभी नहीं हुआ है। स्टार्म वाटर ड्रेन के निर्माण हेतु ह्यूम पाइप की सप्लाय के लिये व्यवस्था की जा चुकी है, परन्तु सप्लाय में विलम्ब होने के कारण अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। जहाँ तक सीवर का प्रश्न है, इसका कार्य कराये जाने का अभी प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि कानपुर रोड के आस-पास के क्षेत्रों में मुख्य सीवर की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है।

भूखण्डों के विक्रय के सम्बन्ध में ट्रान्सपोर्ट्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से कई बार बात-चीत की गई और दिनांक 18-8-79 की बैठक में ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने भी भाग लिया और बात-चीत के दौरान ट्रान्सपोर्ट्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष रूप से निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया :-

- 1- ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में प्रस्तावित कुंजी कार्यालय, जो योजना के दक्षिण सिरे पर प्रस्तावित किया गया है, उसे उत्तरी सिरे पर रखा जाय, जिससे ट्रान्सपोर्ट नगर में आने वाले माल पर कुंजी न देनी पड़े और उन्हें कुंजी तभी देनी पड़े जब वे माल नगर की सीमा के अन्दर ले जायें।
- 2- ट्रान्सपोर्ट नगर में केवल गोदाम और कार्यालयों के निर्माण हेतु अनुमति दी गई है। एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि उन्हें कार्यालयों के ऊपर आवासीय भवन बनाने के लिये भी अनुमति दी जाये।
- 3- जो भूखण्ड उन्हें दिये जायें वे लीज़ पर न देकर फ्री-होल्ड दिये जायें।
- 4- भूखण्डों की प्रस्तावित दर 10/- प्रति वर्ग फुट बहुत अधिक है, इसे कम किया जाय।

कुमरा:---

क्रमांक 1 व 2 पर उल्लिखित प्रस्ताव उचित प्रतीत होते हैं और उन्हें माना जा सकता है। लीज़ रेन्ट के वजाय फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में जब तक सामान्य नीति निर्धारित न हो जाये, उन्हें यह सुविधा देना उचित न होगा।

जहाँ तक भूखण्डों के मूल्य कम किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने पहले रु० 2/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि दिये जाने की मांग की थी, जो कि सर्वथा अनुचित थी परन्तु उनकी बातों पर विचार करके विक्रय मूल्य में कमी करने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया कि व्ययमान में पुनर्विचार किया जाये, जिसमें उतने ही कार्य सम्मिलित किये जायें, जो कराया जा चुका है अथवा कार्य हाथा में लिया जा चुका है। फ्लहाल सीवर का निर्माण तथा पार्किंग स्पेस को पक्का कराने का कार्य स्थगित करा दिया जाय और अर्जन की दरों में भी कुछ कमी की जाय। उतने ही क्षेत्र की इकनामिक्स निकाली जाये, जितने क्षेत्र में अभी विकास कार्य कराया गया है। इस आधार पर मूल्यों की जो गणना की गई है, ~~उसके अनुसार विक्रय मूल्य की दर रु० 8-50 प्रति वर्ग फुट प्रस्तावित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लीजरेन्ट भूमि के प्रीमियम का 4.37 प्रतिशत वार्षिक दर से लिये जाने का प्रस्ताव है। इसी आधार पर ट्रांसपोर्ट्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से दिनांक 10-11-79 को पुनः बातचीत की गई। जिसमें उन्हें भूखण्डों की उक्त दर से अग्रत कराया गया, परन्तु वे लोग रु० 6-50 प्रति वर्ग फुट की दर से अधिक देने के लिये तैयार नहीं हैं।~~

उपरोक्त आख्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं सूचनाार्थ तथा वजाय पर निर्णय लेने हेतु प्रेषित है।

====::: 000 :::====

एम/आरxxx

विषय: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव सं016 द्वारा गठित उप समिति की, विद्यालयों को भूमि आवंटन हेतु अनुरोध ।

x=x=x=x=x=x

उक्त बैठक में श्री वी०के०वसुदेवी, उपाध्यक्षा लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री योगेन्द्र नारायण जिलाधिकारी, लखनऊ व श्री एम०ए०लारी सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भाग लिया । बैठक में उन सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार विमर्श किया गया जो अलीगंज योजना के सेक्टर ए, बी, सी, डी एवं के में स्कूल बनाने हेतु दिये गये हैं । कुल प्रार्थनापत्र 24 हैं । इन 24 प्रार्थनों में से 15 प्रार्थना उप समिति के समक्ष उपस्थिति हुए । इन प्रार्थनों में से प्रत्येक को अलग-अलग बुलाकर समिति ने स्कूल बनाने का अनुभाव, गत तीन वर्गों के वार्षिक परीक्षाफल, वित्तीय व्यवस्था, भाविष्य की योजनाएँ, भूमि उपलब्ध होने के कितने समय बाद स्कूल प्रारम्भ कर दिया जायेगा, तथा अन्य शैक्षिक उपलब्धियाँ एवं आवश्यक रिकार्ड देखे गये ।

विचार विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिये गये :-

- 1- श्रीमती राजेन्द्र कौर, प्रधानाध्यापिका, गुरुनानक गर्ल्स इन्टर कालेज को सेक्टर "के" में स्कूल प्लॉट आवंटित किया जाये ।
- 2- श्री दाऊ जी गुप्ता, अध्यक्ष वैदिक कन्या पाठशाला, इन्टर कालेज गमेश गंज लखनऊ को सेक्टर "बी" में स्कूल प्लॉट दिया जाये ।
- 3- श्रीमती एस०कमल, निदेशिका वेतना सोसाइटी निराला नगर लखनऊ को सेक्टर "सी" में प्लॉट दिया जाये ।
- 4- श्री पूरन सिंह, प्रवन्धक पाथनियर मोन्टेसरी स्कूल, राजेन्द्र नगर लखनऊ को सेक्टर "डी" में स्कूल प्लॉट दिया जाये ।
- 5- श्रीमती कोशल्या पोपली, प्राचार्य म्युनिमिपल नर्सरी स्कूल महात्मा-माँधी मार्ग लखनऊ को सेक्टर "ए" में प्लॉट दे दिया जाये ।

उपरोक्त के अतिरिक्त तीन अन्य आवेदकों को अधोलिखित वरीयता क्रम में वेटिंग लिस्ट में रखा गया :-

- 1- प्रवन्धक सिद्धिंग डेल्स स्कूल सेक्टर "बी" महानगर लखनऊ ।
- 2- कु० मुस्तरी जमाल, हाता रमजान छाँ, हुसेनगंज, लखनऊ ।
- 3- श्री मती मंजू गुप्ता, प्रवन्धक लखनऊ पब्लिक कालेज लाटूशा रोड, लखनऊ ।

यह भी निर्णय लिया गया कि इन भूखण्डों की भूमि की प्रीमियम की दर रु० 3/- प्रतिवर्ग फुट रखी जाये । आवंटन के पूर्व प्रीमियम का 50% जमा करा लिया जाय तथा शेष 50% धानराशि दो वर्गों में दो बराबर किस्तों में जमा करायी जाये । अन्य शर्तें स्कूल बनाने की हाउसिंग बोर्ड के नियम देखाकर रखी जायेगी ।

§ एम०ए०लारी §
सदस्य
विकास प्राधिकरण
लखनऊ

§ योगेन्द्र नारायण §
जिलाधिकारी
लखनऊ

§ वी०के०वसुदेवी §
उपाध्यक्षा
विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विज्ञाप: प्राधिकरण के भावनों की किराये की वसूली बैंक के माध्यम से होने की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

x = x = x = x = x = x

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बैंक के द्वारा भावनों के किराये की वसूली की प्रथा लागू की थी जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि भावनों के किराये की वसूली भी अधिक से अधिक हो तथा जन साधारण को भी सुविधा पहुँचाई जा सके । साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि यह प्रथा अन्तोद्योगिक रूप से चली तो अन्य वसूलियों में भी यही प्रथा लागू कर दी जायेगी ।

31 अक्टूबर 1979 तक इस प्रथा की प्रगति पर ध्यान दिया गया ।

31 अक्टूबर 1978 तक विभागीय माध्यम से जो किराये की वसूली की गई थी उसकी धारराशि 5.63 लाख रुपये थी जबकि इसी अवधि में इस वर्ग बैंक के माध्यम से यह धारराशि केवल 3.81 लाख रुपये है । विदित है कि किराये के जमा होने की मात्रा कम रही । ऐसी स्थिति में प्राधिकरण के लिये भावनों के किराये की वसूली बैंकों के माध्यम से लाभ प्रद नहीं रही ।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्राधिकरण कृपया इस प्रथा को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करे और सहमत हो तो । जनवरी 1980 से इस प्रथा को समाप्त करने की कृपा करें ।

====::: 000 :::====

विज्ञाप: प्रथम चरण में निर्मित मार्केट की दुकानों के समक्ष निर्मित 2 छोटे पार्कों को समाप्त करके उक्त स्थान पर ईटों का छाड़न्जा अथवा सीमेन्ट का फर्मा बनाना ।

=x=x=x=x=x=

नक़्शास मार्केट में स्थित 2 छोटे पार्कों के तीनों ओर बनी हुई दुकानों के पुराने किरायेदार निरन्तर अनुरोध करते रहे हैं कि छोटे पार्कों को हटवाकर उक्त स्थान पर फर्मा लगाया जाय । आरम्भ में जब पार्क का निर्माण हुआ था उस समय केवल यही दृष्टिकोण रहा होगा कि दुकानों के समक्ष एक छोटा पार्क बनाकर इस स्थान को ओपन स्पेस रखते हुए आकर्षक बनाया जाय । परन्तु उसके निर्माण से जो तदुपरान्त कठिनाइयों पैदा हुई उसका कदाचित्त उस समय अनुमान नहीं किया गया होगा । पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से समस्त दुकानदार अत्यधिक इच्छुक है कि इन छोटे पार्कों को तत्काल हटवा दिया जाय क्योंकि इनके कारण उनको अत्यधिक परेशानी होती है । दुकानदारों का कहना है कि :-

- 1- चारों तरफ़ रेलिंग बन जाने से अतिक्रमण कर्तारों को रेलिंग की आड़ लेकर पार्क से सैलमन सड़क पटरी पर दुकान लगाने का अवसर मिलता है ।
- 2- यह स्थान आस पास के असमाजिक तत्वों के लिये एकत्रित होने का स्थान बन गया है । यहाँ पर उनके एकत्रित होने पर पार्क होने के नाते कोई रोक टोक करना भी सम्भव नहीं है । अक्सर यहाँ पर बैठकर लोग जुआ खेलते हैं । इसी कारण साँकाल उस क्षेत्र में महिलायें आने से कतराती हैं ।
- 3- इन दुकानों के सामने केवल दरामदा व रास्ता है, कोई पार्किंग का स्थान नहीं है जो परम आवश्यक है । हारीददारी इत्यादि के लिये स्मूटर, साइकिल एवं अन्य वाहन छाड़ी करने के लिये उगली जगह उपलब्ध हो सकेगी तथा यातायात में अवरोध समाप्त होगा ।

§2§ उपरोक्त कठिनाइयों के निवारण हेतु उक्त स्थान का रिन्ट-मण्डल लखानऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से तथा उपाध्यक्ष महोदय से समय-समय पर मिल चुका है और निरन्तर प्रयास करता रहा है कि पार्क हटाने की माँग स्वीकार कर ली जाय ।

§3§ इस क्षेत्र को भूतपूर्व सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा श्री ज्ञानेन्द्रनाथ निगम, सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण ने देखा । स्थानीय दुकानदारों ने अनुरोध किया है कि उनकी पार्क हटाने की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाय । दुकानदारों ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि लखानऊ विकास प्राधिकरण इन पार्कों को हटाने के लिये सहमत हो जाता है तो उसके हटाने पर जो कुछ खर्चा आयेगा उसको आपसे में एकत्रित करके भुगतान करने को तैयार है । उनका यह भी कहना है कि पार्क से जितना रेलिंग व ईटें निकलेगी उनका आस-पास के निर्माणाधीन पार्कों में लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जा सकता है ।

§4§

इसी मार्केट से सन्निवृत्त नव निर्मित नवछास मार्केट जिसमें कुछ कार्य अभी बाकी है उसमें आवश्यकतानुसार हटाई गई रेलिंग तथा अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है । उक्त स्थान पर पार्क हटाकर छाड़न्जा लगाने में कोई विशेष व्यय न होगा । अतः मार्केट के विकास तथा खरीददारों की सुविधा के लिये पार्क के स्थान पर पार्किंग करना उपर्युक्त होगा ।

§5§

विषय आदेश के लिये प्रस्तुत है ।

====:~::~: 000 ~::~:=====

एम/आरxxx

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में कमेटीयों का गठन ।

श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, उदास्य लखनऊ विकास प्राधिकरण संलग्नक "क" के अनुसार यह सुझाव दिया है कि निम्न कमेटीयों का गठन किया जाए :

- 1- प्रापर्टी मैनेजमेन्ट/एलाटमेन्ट कमेटी,
- 2- फाइनेन्स कमेटी,
- 3- प्लानिंग/अर्नन कमेटी,
- 4- सार्वजनिक निर्माण तथा स्टोर कमेटी,
- 5- नजूल/ पार्क कमेटी, तथा
- 6- वयन समिति ।

2. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अनुसार प्राधिकरण का गठन किया गया है । इसका उद्देश्य धारा 7 के अन्तर्गत निम्न प्रकार है :-

" to promote and secure the development of the development area according to plan and for that purpose the Authority shall have the power to acquire, hold, manage and dispose of land other property, to carry out building, engineering, mining and other operations, to execute works in connection with the supply of water and electricity, to dispose of sewage and to provide and maintain other services and amenities and generally to do anything necessary or expedient for purpose of such development and for purposes incidental thereto."

3. विकास प्राधिकरण और महापालिका में एक मूल भूत अन्तर है । जहाँ महापालिका में जहाँ की कार्य वाडी या महापालिका केवल पालिसी मेकिंग वाडी है वरन् दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी उनका अनुमोदन प्राप्त करना होता है वहाँ विकास प्राधिकरण मुख्यतः ओवरऑल डाइरेक्शन्स देती है और दिन प्रतिदिन के कार्यों को चलाने के लिये अधिकार अधिनियम की धारा 14, 15 और धारा 17, 18, 19 व 20 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग किया जाता है । अतः यह एक कार्यकारी वाडी नहीं है । इस बात की पुष्टि इसके भी होती है कि विकास प्राधिकरण की बैठक कम से कम एक ब्रैमास में एक बार होती है । इस सम्बन्ध में मथुरा - वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973, § तथा संशोधित § की धारा 56 की उपधारा §2 के हाण्ड "के" के अन्तर्गत बनाये गये विनियम §रेगुलेशन, जिन्हे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16-3-78 में प्रिन्सिपल प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा यहाँ लागू किया है, में स्थिति निम्न प्रकार है :-

" बैठकों की संख्या: 5- ब्रैमास में प्राधिकरण की साधारणतया कम से कम द्वावारा: ---

एक बैठक बुलाई जायेगी, लेकिन आपात बैठक किसी भी समय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के आदेश पर बुलाई जा सकेगी”

4- लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 8 जुलाई 1977 में प्रस्ताव संख्या 29 द्वारा इसे पूर्व भी उप समितियों को बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था ।

5- जहाँ तक विकास प्राधिकरण में अब भी उप-समितियों बनती है, वह इसी उद्देश्य से बनती हैं कि वह प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उसके अनुमोदन के पश्चात ही उन पर कार्यवाही की जाती है । विकास प्राधिकरण अधिनियमों में समितियों, उप समितियों बनाने का, जिनकी की कार्यकारी स्थिति हो, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और न ही ऐसी समितियाँ यहाँ बनती हैं ।

6- इसको दृष्टिगत रखाते हुए यह उचित होगा कि इसे शासन को अप्रसारित कर दिया जाये चूंकि यह एक नीति सम्बन्धी विषय है अतः यह शासन से अनुरोध करना है कि उचित होगा ताकि समस्त प्राधिकरणों में एक सामान्य नीति इस सम्बन्ध में लागू हो सके ।

अतः शासन को यह संस्तुति प्रेषित कर दी जाये कि वे इस सम्बन्ध में विचार कर नीति सम्बन्धी इस विषय पर निर्णय पारित करने का कष्ट करें ।

====:::000:::====

एम/आरxxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्य-कलापों में प्रगति लाने तथा प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये महापालिका व नगर पालिकाओं में प्रचलित पद्धति के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी उप समितियों का गठन आवश्यक प्रतीत होता है जिससे उप समितियों द्वारा प्रशासन के विभिन्न अंगों के कार्यों पर नियंत्रण सम्भाव हो सके। यदि विकास-प्राधिकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामले उप समितियों के माध्यम से विकास प्राधिकरण के समक्ष लाये जायें तो त्रुटियों की सम्भावना कम हो जायेगी तथा प्रशासनिक अधिकारी वर्ग व विभाग कमेटी के सुझाव से लाभान्वित होंगे। इस उद्देश्य से निम्नलिखित उप समितियों के गठन का सुझाव दिया जा रहा है :-

- 1- प्रापर्टी मैनेजमेन्ट/एलाटमेन्ट कमेटी।
- 2- फाइनेन्स कमेटी,
- 3- प्लानिंग/ अर्जन कमेटी,
- 4- सार्वजनिक निर्माण तथा स्टोर कमेटी,
- 5- नजूल पार्क केटी,
- 6- वयन समिति।

इन समितियों में स्थायी रूप से 3 सदस्य होंगे। कमेटी को अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष अधिकारी को "कोआप्ट" के आर्गु कर लें। इस कमेटी की मीटिंग प्रत्येक माह में सामान्यतयः दो बार होगी परन्तु आवश्यकता होने पर जल्दी भी बुलाई जा सकेगी। इस कमेटी के माध्यम से कभी नयी योजनाएँ, स्टीमेट टेन्डर तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की मीटिंग में अथवा समक्ष अधिकारी को भेजे जाने की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

इन उप समितियों का संयोजक सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष होगा तथा मीटिंग का कोरम दो सदस्यों का होगा।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्ताव आज बैठक में अन्य विषयों के साथ निर्णय हेतु रखाने का कष्ट करें।

ह0 मनेन्द्र नाथ निगम,
§ मनेन्द्र नाथ निगम §
सदस्य,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8 जुलाई 1977 के मद्द सं 29 का उद्घरण ।

x=x=x=x=x=x=x

विभाग:-

सचिव कार्यालय

विषय :

विकास प्राधिकरण की रोज रोज के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विचारार्थ एवं निर्णय लेने के लिये विकास-प्राधिकरण की उपसमिति का गठन करने के सम्बन्ध में ।

सारांश:

विकास प्राधिकरण के रोज रोज के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में निर्णय लेने के लिये विकास प्राधिकरण की निम्नांकित तीन प्रकार की समितियाँ होनी चाहिये जो विभिन्न प्रकार के कार्यों पर निर्णय में सहायक होगी ।

1- प्लानिंग उपसमिति :

इसके सदस्य उपाध्यक्ष, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, जिलाधिकारी, सचिव विकास प्राधिकरण एवं त्रिभूत नगर नियोजक हों । यह उपसमिति मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन के मामले छोड़कर प्लानिंग तथा भावन विभाग में आने वाले अन्य सभी नीतियों सम्बन्धी समस्याओं पर मार्ग निर्देशान करेगी । ऐसे काम विन्डिंग वाइलाज़, सेट बैक्स का निर्धारण भावन विभाग की गूढ़ समस्याओं के मामले में विचार विमर्श, कम्पा-उन्डिंग केस हेतु तथा जो नल प्लान बनाने के सम्बन्ध में और उनपर निर्णय लेने के सम्बन्ध में, विभिन्न प्रकार की प्राधिकरण स्कीमों के ले-आउट प्लान तथा डिज़ाइन आदि का अनुमोदन आदि करेगी ।

इस समिति से मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा स्टेट आर्चीटेक्ट भी हों जिनके लिये शासन को सिखाना होगा नगर अभियन्ता, भावन भी इसमें होना चाहिये । इसी समिति को भावनों आदि के टाइप डिज़ाइन नी विचार करने का कार्य भी सौंपा जाना चाहिये ।

2- अभियन्त्रण उप समिति :-

यह उपसमिति अभियन्त्रण विभाग के 10 लाख रुपये के व्यय अनुमान जाँचने, समय पर कार्य की प्रगति और उनकी क्वालिटी का मूल्यांकन करने, किसी मामला विशेष की तकनीकी आडिट रील में भोजने आदि का काम करेगी । इसके सदस्य उपाध्यक्ष, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, प्रवन्धा निदेशक, जल निगम, सचिव विकास प्राधिकरण और मुख्य अभियन्ता हों ।

3- वित्त उप समिति

यह उप समिति प्राधिकरण के समक्ष समय समय पर उत्पन्न लेखा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करेगी। उदाहरण के तौर पर ऐसे मामले कि उपलब्ध धानराशि का विनियोजन किस प्रकार से किया जाय, प्राधिकरण की विभिन्न स्थितियों के लिये धानराशि किस प्रकार जुटाई जाय । प्राधिकरण की स्कीमों के कास्ट वेनिफिट एनालिसिस उपलब्ध धानराशि की फेज़िंग जिसमें किसी भी समय अधिक धानराशि उपयुक्त तथा विनियोजित न पड़ी रहे और विभिन्न

कुमशा:-----

कृषियों का प्रतिदान समय समय से किस प्रकार किया जा सकता है पर विचार करेगी। यह उपसमिति प्राधिकरण के विभिन्न भागों में उत्पन्न पदों की आवश्यकता पर विचार करेगी और पदों को सृजित करने के लिये प्राधिकरण को संस्तुति करेगी। समिति के सदस्य उपाध्यक्ष, सैक्रेटरी फाइनेंस के प्रतिनिधि सचिव आवास विभाग के प्रतिनिधि, सचिव विकास प्राधिकरण और मुख्य लेखाधिकारी तथा कास्ट एकाउन्टेन्ट हों।

आपके आदेशानुसार मेने उपर्युक्त समितियों के गठन और कार्यों के बारे में यह आख्या बना तो लो है परन्तु इस बीच मेरा ध्यान प्राधिकरण की बैठक 25-7-75 की मद संख्या १ एक में लिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया। इसके साथ ही कृषया प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2-4-75 की मद संख्या 3 तथा 12 को भी देखाने का कष्ट करें। दिनांक 25-7-75 की बैठक में अभियन्त्रण उप समिति गठित करने पर विचार हुआ था और यह निश्चय लिया गया था कि प्राधिकरण अपने अधिकारियों का प्रतिनिधायन किसी भी समिति को नहीं कर सकता है। इस सन्दर्भ के बाद कृषया आदेश दें कि पुनः इस मामले को विकास प्राधिकरण के समक्ष ले जाना उचित होगा अथवा नहीं।

ह० आर० एन० विवेदी
सचिव
विकास प्राधिकरण
लखनऊ
4-6-77

उपाध्यक्ष की अनुमति
=====

यह उपसमितियाँ अधिकारियों की सलाहकार समितियों के रूप में कार्य करेगी। इन्हें किसी प्रकार का प्रशासनिक अथवा वित्तीय अधिकार देने का प्रश्न नहीं है। अतः यह विजय विकास प्राधिकरण के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

ह० एन० वी० लाल
उपाध्यक्ष

एम/आरxxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8 जुलाई 1977 जो विकास प्राधिकरण कार्यालय में हुई की कार्यवाही के विषय सं 29 उद्घरण ।

x = x = x = x = x = x = x = x

विकास प्राधिकरण की रोज़ रोज़ के महत्वपूर्ण कार्यों के तारे में त्रिवारार्थ एवं निर्णय लेने के लिये विकास प्राधिकरण की उपसमिति का गठन करने के सम्बन्ध में त्रिवार त्रिमर्श किया गया । उपाध्यक्ष ने बताया कि विकास प्राधिकरण कार्यों में द्रुति गति लाने के लिये निम्नलिखित तीन उप समितियाँ बनानी आवश्यक प्रतीत होती हैं जो त्रिभान्न प्रकार के कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने में सहायक होगी :-

1- प्लानिंग उपसमिति:-

यह उपसमिति मास्टर प्लान में भू-उपयोग के परिवर्तन के मामले को छोड़कर प्लानिंग तथा भावन विभाग में आने वाले सभी नीतियों सम्बन्धी समस्याओं पर मार्ग निर्देशान करेगी ।

2- अभियन्त्रण उप-समिति:

यह उपसमिति अभियन्त्रण विभाग के 10 लाख रुपये से ऊपर के व्ययानुमान के जाँचने एवं समय समय पर कार्य की प्रगति और उनकी क्वालिटी का मूल्यांकन करने, किसी मामले विशेष को तकनीकी आडिट सेल में भेजने आदि का कार्य करेगी ।

3- वित्त उपसमिति :

यह उपसमिति प्राधिकरण के समक्ष समय समय पर उत्पन्न लेखा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करेगी ।

इस सम्बन्ध में निश्चय किया गया कि ऐसी उपसमिति बनाने से कार्यों में वजाये प्रगति के अवरोध उत्पन्न हो सकता है क्योंकि प्रस्तावित सदस्य एक साथ निश्चित समय पर उपलब्ध न होने से मामले अनिर्णित रहेगे जिससे कार्य में प्रगति नहीं हो सकेगी । इस सम्बन्ध में दिनांक 25-7-75 की बैठक में लिये गये निर्णय जिसमें यह निश्चय लिया गया कि प्राधिकरण अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किसी भी उपसमिति को नहीं कर सकता है कि ओर भी आकृष्ट किया गया । निर्णय लिया गया कि ऐसी उप समितियों का गठन न किया जाय किन्तु प्रगति समीक्षा, आवश्यक प्राधिकृत वित्तीय परीक्षाओं हेतु एक Steering Committee बनाने का प्रस्ताव रखा जाये ।

विषय संख्या: 9

पृष्ठ संख्या: 26

विषय: उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को 25-00
लाखा रुपये तक के प्राविधिक कार्यों की
निविदा एवं व्ययानुमान स्वीकार करने के
अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

x=x=x=x=x=x

उपरोक्त विषय बैठक दिनांक 24-11-79
में प्रस्तुत किया गया था परन्तु समयाभाव के कारण
स्थागित कर दिया गया था अस्तु प्राधिकरण के
त्रिवारार्थ एवं निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत है ।

====::: 000 ::: =====

~~5 दिवस आम~~
एम/आर x x x

25-11-79

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
दिसम्बर 22, 1979 में विवारणीय कार्य-सूची
का अनुपूरक ।

x x x x x

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
10	कुर्मी रोड एवं सीतापुर रोड के बीच की भूमि का अर्जन ।	27
11	शाहर के मध्य बटलरगंज स्कीम के भूखण्ड संख्या 23 की भूमि का अर्जन ।	28
12	शाहर के मध्य बटलर गंज स्कीम के भूखण्ड संख्या: 10 की भूमि।	29
13	ए०पी०सेन रोड स्थित मकैया चारबाग योजना के नूजूल भूखण्ड संख्या-14 पर आवासीय योजना	30
14	नक्कास योजना में चिड़ियाँ बाजार के समीप क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में ।	31
15	नक्कास योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों के आवन्टन के सम्बन्ध में ।	32

==== :::: 0000 :::: =====

एम/आर x x x

कुर्सी रोड एवं सीतापुर रोड के बीच की भूमि का अर्ज

शहर की गति आवासीय समस्या को हल करने के लिये लगभग 1000 एकड़ भूमि का अर्ज कर अतीगंज योजना चलायी जा रही है इस योजना के आगे काफी बड़ा क्षेत्र आवासीय उपयोग हेतु सुरक्षित है ।

आवासीय समस्या को द्याव में रखाते हुए यह विताजित आवश्यक है कि मास्टर प्लान के अनुसार इसे अर्जित किया जाय । तबतक शहर के लिये टिम्बर नगर , सड़की सड़की आदि की भी व्यवस्था की जाती है ।

उपरोक्त तथ्यों को द्याव में रखाते हुए वास्तु अतीगंज योजना के आगे कुर्सी रोड एवं सीतापुर रोड के बीच की भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है । इस प्रस्तावित अर्जित क्षेत्र के अन्तर्गत पिम्पान्न ग्रामों की 1757.53 एकड़ भूमि आती है ।

उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत सीतापुर रोड और कुर्सी रोड के बीच प्रस्तावित मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो भी विकास हेतु प्रस्ताव था वह पूर्ण हो जाता है ।

उपरोक्त हेतु निम्न विन्दु तबतक विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

- अ- उक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 1757.53 एकड़ है, को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्ज अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
- व- योजना का नाम : "सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना " रखावे की अनुमति ।

शहर के मध्य वटतरगंज स्कीम के झूठांड संख्या 23 की भूमि का अर्ज
~~~~~

वटतर गंज स्कीम के अर्न्तगत झूठांड संख्या 23 वाली पट्टा है जिसे अर्जित कर आवासीय योजना बनाये जाने का प्रस्ताव है । विवरण इस प्रकार है ।

स्थिति :- गोलार्ध मार्ग ।

शीर्षक :- धीघा 2-15-7-17

उद्देश्य :- अल्प एवं मध्यम आयवर्ष के व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था हेतु झूठांड एवं भावक उपलब्ध कराये जायें ।

निम्न विस्तृत तथ्यांक विकास प्राधिकरण के आदेशाधीन प्रस्तुत है ।

अ- वटतरगंज योजना के झूठांड संख्या 23 को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्ज अर्जित करने के अर्न्तगत अर्जित करने की अनुमति ।

ब- योजना का नाम निर्धारित करने के संबंध में विचार ।

शहर के मध्य वटतरगंज स्कीम के झूठांड संख्या 10 की भूमि का अर्जन

-----00-----

वटतर गंज स्कीम के अर्न्तगत झूठांड संख्या 10 का एक बड़ा भाग छाती पड़ा है जिसे अर्जित कर आवासीय योजना बनाये जाने का प्रस्ताव है । विवरण इस प्रकार है ।

- स्थिति :- मदनमोहन मातृवीथ मार्ग ।  
क्षेत्रफल :- बीघा 2-12-2-2  
उद्देश्य :- अल्प एवं मध्यम आयवर्ग के व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था हेतु झूठांड एवं भावक उपलब्ध कराये जायें ।

निम्न विस्तृत तालिका पिकाय प्राप्तिकरण के आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

- अ- वटतरगंज योजना के झूठांड संख्या 10 को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अर्न्तगत अर्जित करने की अनुमति  
ब- योजना का नाम निर्धारित करने के संबंध में विचार ।

- योजना का नाम :- ए०पी०सेब रोड स्थित मरैया वारवाग योजना के अंतर्गत भूमि के अंतर्गत भूखंड संख्या - 14 पर आवासीय योजना ।
- स्थान :- ए०पी०सेब रोड
- होत्रफल :- वी० 1-9-11-0
- उद्देश्य :- बहुखंडीय आवासीय भवन बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

उपर्युक्त योजना हेतु निम्न विस्तृत तथ्यांक विकास प्राधिकरण के समक्ष आदेशार्थी प्रस्तुत है ।

अ-- उक्त अंतर्गत भूखंड संख्या 14 के लीज राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अर्जित कर आवासीय योजना बनाने की अनुमति ।

व-- योजना का नाम निर्धारित करने पर विचार

विषय :- लक्षणा योजना में पिड़ियां बाजार के समीप क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के उद्देश्य में ।

-----00-----

स्थित तथा चौकड़ी :- लक्षणा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने की मूंगी  
 उत्तर :- पुष्पा बाइपास द्वारा संख्या 5, 58 व मस्जिद  
 पुष्पा ।  
 पूर्व- फर्मा पुष्पा व मकान पुष्पा श्री मोहम्मद अहम्मद  
 सदीक श्री हकीम व बायरा न० 51 मस्जिद मय  
 रास्ता सरकारी व मकान हवीव गार्ड व मकान  
 मोहम्मद सदीक मोहम्मद पुतताव ।  
 दक्षिण - पुष्पा सड़क सरकारी ।  
 पश्चिम- फर्मा पुष्पा व मकान पुष्पा मोहम्मद अहम्मद  
 भाई ।

क्षेत्रफल :- वी० वि० वि० क०  
 0 - 19- 2 - 2

उद्देश्य :- लक्षणा योजना के सामने स्थित पिड़िया बाजार के समीप क्षेत्र  
 जो बाइपास रूप में है को अर्जित करके विकसित कर शॉपिंग  
 कॉम्प्लेक्स बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्न विन्दु तत्काल विकास प्राधिकरण  
 के समक्ष प्रस्तुत है ।

- अ- उपरत मूंगी को मूंगी अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित  
 कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाये जाने की अनुमति ।
- ब- योजना का काम निर्धारित करने पर विचार ।

विषय: नवखास योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में ।

आख्या: नवखास योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 202 दुकानों का निर्माण किया गया था जिसमें से 74 दुकानें रिक्त हैं । इन दुकानों को उठाने का भरसक प्रयास किया गया परन्तु दुकान के प्रीमियम को एकमुक्ता धनराशि देने के लिये लोग तैयार नहीं हैं ।

नवखास योजना की इन्फ्लेमिक्स विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 में प्रस्तुत की गई थी । बड़ी दुकान की लागत ₹16,100/- है तथा छोटी दुकान की लागत ₹12,600/- आती है । उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि छोटी दुकान का प्रीमियम ₹5,000/- तथा किराया ₹100/- मासिक लिया जायें तथा बड़ी दुकान का प्रीमियम ₹6,000/- तथा किराया ₹150/- मासिक लिया जायें ।

चूंकि शेष दुकानें काफी समय से रिक्त पड़ी हुई हैं, और विकास प्राधिकरण को आर्थिक हानि हो रही है, अतः निम्नलिखित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

बड़ी दुकान का किराया ₹100/- प्रति माह तथा छोटी दुकान का किराया ₹75/- प्रति माह लिया जायें तथा प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् किराया ₹50/- प्रति माह बढ़ा दिया जायें । प्रीमियम की धनराशि बड़ी दुकान के लिये ₹2,000/- तथा छोटी दुकान के लिये ₹1,000/- रखी जायें । इसमें क्रमशः ₹800/- तथा ₹400/- तुरन्त ले लिया जायें तथा शेष 6/6 माह बाद समान किस्तों में लिया जायें ।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-79 जो  
पूर्वाह्न 10-30 बजे प्राधिकरण स्थिति कोटी कक्षा  
में हुई, का कार्यवृत्त।

=x=x=x=x=x=x=x=

उपस्थित:-

- |    |                           |                                                        |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1- | श्री पी०पी०छान्ना         | आयुक्त, लखनऊ गण्डल/अधिका, लखनऊ विकास प्राधिकरण।        |
| 2- | श्री वी०जे०छोदाजी         | आयुक्त एवं सचिव, आवाज एवं मुर्नवीज, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 3- | श्री योगेन्द्र नारायण     | जिलाधिकारी, लखनऊ।                                      |
| 4- | श्री जे०पी०दुवे           | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।        |
| 5- | श्री ओ०पी०विश्वनोई        | महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन, उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ।   |
| 6- | श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम | सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।                          |
| 7- | श्री कल्याण शंकर वाजपेयी  | सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।                          |
| 8- | श्री एम०ए०लारी            | सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।                          |
| 9- | श्री श्री क. चतुर्वेदी    | उपस्थित, लखनऊ।                                         |

=x=x=x=x=x=x=x=

अन्य उपस्थित :-

- |    |                       |                              |
|----|-----------------------|------------------------------|
| 1- | श्री ध्यान सिंह वर्मा | सचिव, विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |
|----|-----------------------|------------------------------|

=x=x=x=x=x=x=x=

विषय संख्या: 1

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 के कार्यवृत्त का पृष्ठिकरण।

पारित प्रस्ताव:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 के कार्यवृत्त की पृष्ठिक की गई।

विषय संख्या: 2

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

पारित प्रस्ताव:

सचिव ने अवगत कराया कि अनुपालन आख्या प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। अतः निर्णय लिया गया कि उक्त अनुपालन आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विषय संख्या: 3

तजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या।

पारित प्रस्ताव:

सचिव ने अवगत कराया कि वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जा सकेगी। अतः निर्णय लिया गया कि उक्त आख्या आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विषय संख्या: 4

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रांसपोर्टनगर योजना में भांडाण्डों का विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में बुंगी कार्यालय योजना के दक्षिणी तिर पर प्रस्तावित किया गया है। निर्णय लिया गया कि इस कार्यालय को उचित स्थान पर रखाने के लिये उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण वृकिं प्रशासक नगर मह.पालिका भी हैं अस्तु इस सम्बन्ध में

वे अपने स्तर पर निर्णय ले लें ।

2- ट्रान्सपोर्टनगर योजना में गोदाम एवं कार्यालयों के ऊपर आवासीय भावन बनाने के लिये अनुमति प्रदान की जाती है । परन्तु इन भावनों के बनाने में आर्किटेक्चरल नियन्त्रण पूर्ण रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण का रहेगा ।

3- भूखण्डों को फ्री-हाल्ड देने के सम्बन्ध में ट्रान्सपोर्ट्स ऐजोसिपेशन की मांग अस्वीकार की जाती है ।

4- भूखण्डों की विक्रय दर ₹ 7-40 प्रति वर्ग फुट निर्धारित की जाती है । उक्त दर से अतिरिक्त प्रथम पाँच वर्ग के लिये लीज़रेन्ट कुल प्रॉमिसम का 2% वाजिकि होगा तत्पश्चात अगले पाँच वर्ग के लिये 3% अगले पाँच वर्ग के लिये 4% तथा अगले पन्द्रह वर्ग के लिये 5% होगा । 30 वर्ग के पश्चात लीज़ नवीनीकरण के योग्य होगी । लीज़ के नवीनीकरण के समय लीज़रेन्ट उस समय देय लीज़रेन्ट का ड्योढ़ा हो जायेगा । अगले 30 वर्ग के पश्चात पुनः यह लीज़ नवीनीकरण योग्य होगी तथा उस समय भी देय लीज़रेन्ट को ड्योढ़ा कर दिया जायेगा । इस प्रकार लीज़ कुल 90 वर्ग के लिये होगी जो प्रत्येक 30 वर्ग के पश्चात उपरोक्तानुसार नवीनीकरण योग्य होगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्डों के कुल प्रॉमिसम का 1/3 धान ट्रान्सपोर्ट्स से तुरन्त जमा करा लिया जाये तथा शेष 2/3 धान छमाही किश्तों में 2 वर्ग के अन्दर वसूल कर लिया जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दरें विकास के वर्तमान स्तर के लिये निर्धारित की जाती है तथा भविष्य में और विकास होने पर उन्हें बढ़ाया जा सकता है ।

5- यह भी निर्णय लिया गया कि ट्रान्सपोर्ट्स-ऐजोसिपेशन के यूनिथन भावन के लिये भूमि सामान्य दर के 75% मूल्य पर उपलब्ध करा दी जाए ।

6- विक्रय दर प्रति वर्ग फुट के बजाय प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारित की जाये ।

7- ट्रान्सपोर्ट नगर की समस्त स्थिति को 6 माह बाद पुनः रिव्यू किया जाए ।

8- दो वर्ग के लिये केशा फ्लो स्टेटमेन्ट तैयार कर लिया जाये ।

9- रोड्स आदि के स्पेसिफिकेशन पी0डब्लू0डी0 से ठेक करा लिये जायें ।

10- जन सेवाओं में कम्युनिटी सर्विसेज में पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन डिस्पेन्सरी, फायर सर्विस, टेलीफोन इक्सचेंज के अतिरिक्त गेटल भी माना जाये । इन सर्विसेज के लिये योजना की दरों पर ही भूमि उपलब्ध कराई जाये, कोई छूट न दी जाये ।

विज्ञाप संख्या: 5

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव संख्या: 26 द्वारा गठित उपसमिति की विद्यालयों की भूमि आवंटन हेतु अनुशंसा ।

पारित प्रस्ताव:

विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा स्वीकृति दरों के बारे में सूचना प्राप्त कर

ली जाए तथा इस सम्बन्ध में एक उप समिति भी गठित की जाती है जिसमें जिव, आवास एवं पुर्नवास, उ०प्र०शासन, आवास आयुक्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, श्री कल्याण शंकर वाजपेयी, सदस्य, विकास प्राधिकरण एवं उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति की रिपोर्ट अगली विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विज्ञाप संख्या:6

प्राधिकरण के भावनों की किराये की वसूली बैंक के माध्यम से होने की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

विवार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि जनवरी 1980 से प्राधिकरण के भावनों की किराये की वसूली बैंक के माध्यम से न करके प्राधिकरण स्वयं कराये।

विज्ञाप संख्या:7

पुथम चरण में निर्मित नकदवाज मार्केट की दुकानों के समक्ष निर्मित 2 छोटे पार्क को समाप्त करके उक्त स्थल पर ईटों का डाइन्जा अथवा सीमेंट का फर्श लगाना।

पारित प्रस्ताव:

विवार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त पार्क हटा दिये जायें परन्तु हटाने तथा पुनः फर्श निर्माण की कास्ट सम्बन्धित दूकानदारों से वसूल की जाये। प्राधिकरण इस पर कोई भी व्यय भार वहन नहीं करेगा।

विज्ञाप संख्या:8

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कमेटीयों का गठन।

पारित प्रस्ताव:

विज्ञाप स्थागित किया गया।  
समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका।

विज्ञाप संख्या:9

उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को 25-00 लाख रुपये तक के प्राविधिक कार्यों की निविदाएं एवं व्यय अनुमान स्वीकार करने के अधिकारों का प्रतिनिधित्व।

पारित प्रस्ताव:

विवार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 20(2) में दारिद्र्य कार्यों के उन्मूलन हेतु धारा 51(2) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-9-78 की विज्ञाप संख्या 10(1) धारा को संशोधित करके समस्त व्यय अनुमानों, उनकी निविदायें, अनुमति एवं उन्मूलन व्यय इत्यादि के स्वीकृति के अधिकार रु० 10-00 लाख तक के स्थान पर रु० 25-00 लाख तक के लिये प्रतिनिधित्व किये जाते हैं।

विज्ञाप संख्या:10

कुर्सी रोड एवं जीतापुर रोड के बीच की भूमि का अर्जन।

पारित प्रस्ताव:

विवार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि अलागंज आवास योजना के आगे मास्टर प्लान में अर्जित आवासीय क्षेत्र में जीतापुर रोड तथा कुर्सी रोड के बीच स्थित भू-भाग पर प्रस्तावित योजना

बनाई जाए जिसके सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये जाते हैं :-

- 1- उक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 1757-53 एकड़ है, को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 2- योजना का नाम "भीतापुर रोड नगर प्रसार योजना" रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विज्ञाप संख्या: 11 शहर के मध्य बटलरगंज स्कीम के भूखण्ड संख्या-23 की भूमि का अर्जन।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्भवतः इस भूमि पर आवास एवं विकास परिचाद में भी कोई योजना बनाई है अतः पहले उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिचाद में गालूम कर लिया जाये और यदि उनकी वहाँ कोई स्कीम नहीं है तो प्रस्तावित आवास अर्जन की कार्यवाही की जाये।

विज्ञाप संख्या: 12 शहर के मध्य बटलर गंज स्कीम के भूखण्ड संख्या-10 की भूमि का अर्जन।

पारित प्रस्ताव: विज्ञाप संख्या-11 में लिये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।

विज्ञाप संख्या: 13 ए0पी0सेन रोड स्थिति मवेया चारबाग योजना के नजूल भूखण्ड संख्या-14 पर आवासीय योजना।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त ए0पी0सेन रोड पर बहुखण्डीय आवासीय भवन बनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

उक्त नजूल भूखण्ड संख्या-14 के लीज राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित कर आवासीय योजना बनाने की अनुमति दी जाती है।

विज्ञाप संख्या: 14 नक्कास योजना में विडिया बाजार के समीप क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: उपाध्यक्ष ने बताया कि नक्कास योजना के तहत स्थिति विडिया बाजार के समीप क्षेत्र जो छाँडहर के समीप है को अर्जित करके विकसित कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

उक्त भूखण्ड को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी जाती है।

विज्ञाप संख्या: 15

नवखोज योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दूकानों के आवंटन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि बड़ी दूकान का किराया रु 100/- प्रतिमाह तथा छोटी दूकान का किराया रु 75/- प्रतिमाह लिया जाये तथा पहिले पाँच वर्ग पश्चात किराया रु 50/- प्रतिमाह बढ़ाकर क्रमशः 150/- प्रतिमाह व 125/- प्रतिमाह कर दिया जाये तदुपरान्त 5 वर्ग पश्चात यह किराया क्रमशः 200/- रुपये प्रतिमाह व 175/- रुपये प्रतिमाह रहेगा । प्रीमियम की धारणाएँ बड़ी दूकान के लिये रु 2,000/- तथा छोटी दूकान के लिये रु 1,000/- रखी जाये । इसमें क्रमशः 800/- रुपये तथा रु 400/- तुरन्त ले लिया जाये तथा शेष 6-6 माह के बाद समान किरावों में लिया जाये और तद्नुसार ही पूर्व में आवंटित दूकानों के दूकानदारों से किराया आदि लिया जाये । उनसे प्राप्त अधिक धान को लौटाया न जाये वरन् उसे अग्रिम अवधि में समाप्तोचित कर दिया जाये ।

ह0 ध्यान सिंह वर्मा  
॥ ध्यान सिंह वर्मा ॥  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त

ह0 पी0 पी0 छान्ना  
॥ पी0 पी0 छान्ना ॥  
आयुक्त  
लखनऊ मण्डल  
अध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण